

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:—ई-18/एम/डीपीसी/संस्था.अधि/एफ-641/2026/166 दिनांक:—05/06/26

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/संस्था.अधि/एफ-543/2025/333 दिनांक 11.11.25 के द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी कार्मिकों का संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर किया जाता है:—

क्र.सं	कार्मिक का नाम	एससी/एसटी	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर प्रस्तावित पदस्थापन स्थान
1.	ओम प्रकाश मीणा	अ0ज0जा0	01-11-66	सीएमएचओ दौसा	निदेशालय(पक) मुख्यालय
2.	शिव कुमार जोशी		22-08-69	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर	निदेशालय मुख्यालय
3.	अनिल कुमार सरावगी		27-01-70	सीएमएचओ चित्तौड़गढ़	सीएमएचओ चित्तौड़गढ़
4.	अरुण कुमार बैनर्जी		06-03-67	कार्यालय सीएमएचओ सीकर	सीएमएचओ सीकर
5.	बबलेश आर्य		16-11-68	सीएमएचओ जयपुर द्वितीय	सीएमएचओ जयपुर—द्वितीय
6.	संजय कुमार शर्मा		08-06-69	संयुक्त निदेशक चिकि. एवं स्वा. सेवाये जोन जोधपुर	सीएमएचओ बाडमेर
7.	नरेन्द्र कुमार शर्मा		11-01-70	सीएमएचओ अलवर	संयुक्त निदेशक जोन—जयपुर
8.	नरेन्द्र कुमार मित्तल		22-10-71	सीएमएचओ अलवर	सीएमएचओ जयपुर—प्रथम
9.	रीता दाधीच		10-11-66	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर	निदेशालय मुख्यालय
10.	नरपत सिंह		08-04-67	सीएमएचओ बीकानेर	संयुक्त निदेशक जोन बीकानेर
11.	तनूजा गुप्ता		15-08-70	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर	निदेशालय मुख्यालय
12.	प्रकाशचन्द	दिव्यांग	20-01-67	सीएमएचओ झालावाड़	सीएमएचओ टोंक
13.	अशोक कुमार	अ0जा0	01-07-68	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) अजमेर	सीएमएचओ रतनगढ़ घुर्ग



14.	नाहर सिंह	अ0जा0	01-07-68	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर	निदेशालय मुख्यालय
-----	-----------	-------	----------	---	-------------------

नोट:-

- 1-राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-II/95 दिनांक 20.06.2001 एवं दिनांक 19.09.17 के परिप्रेक्ष्य में उक्त पदोन्नत कार्मिकों के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो उन कार्मिकों का कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 पार्ट-जयपुर दिनांक 24.05.2023, दिनांक 16.03.23 एवं 27.03.23 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पदोन्नत कार्मिकों को कार्यग्रहण कराया जाना है तथा इनके वेतन नियतन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2-उक्त कार्मिकों को दिनांक 19.06.26 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा उक्त आदेश निरस्त समझे जायेंगे।
- 3-नवीन पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में भी कार्मिकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी कार्यग्रहण करावे तथा रिक्त पद व कार्यरत कार्मिक की सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से जरिये ई.डाक अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावेंगे साथ ही पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण की सूचना से दिनांक 19.06.26 तक निदेशालय को जरिये ईमेल आईडी DMHSDPCNG104@GMAIL.COM पर अवगत करावे।

उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 3 की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/संस्था.अधि/एफ-641/2026/166 दिनांक:-05/06/26

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 4- संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रण अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 5- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 7- आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर